

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैकटर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा—डी—तीन—10129/5286

दिनांक: 7-12-2021

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल,
रोहतक।

विषय: Diversion of 0.1325 ha. of forest land for laying of OFC by M/s Jio Digital Fibre Private Ltd. from Parshavnath towards Anmol Gargen on Rawar road and again Anmol Garden towards Heritage Lawn (Total 1361 mtr.) and starting from Bharat Cement Story up to MRF Tyre Agency (151 mtr.) on Karnal-Meerut road and starting from Rahul Hyundai up to turning point of Sec. 4-5 road (397 mtr.) on Delhi-Chandigarh National Highway and starting from Aryan TVS up to Hotel Nice on Kunjpura road (1034 mtr.) in Karnal City, under forest division and District Karnal, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/OFC/117399/2020

संदर्भ: आपका ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 25-11-2021।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भाकृत पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयाकृत उद्देश्य हेतु 0.1325 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. इस केस में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
3. प्रयोक्ता एजैन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी।
4. यह ओएफोसी० वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जाएगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी।
5. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी।
6. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
8. यह कार्य इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा।
9. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है।
10. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
12. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।

विवारण ०३।१२।२१
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा
पंचकुला।

प्रतिलिपि:—

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बैज नं० 24-25, सैकटर-31-ए, चण्डीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, करनाल।
3. M/s Jio Digital Fibre Private Ltd., Mohali.